झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–492 वर्ष 2017

अशोक कुमार यादव, पे0–इंद्रजीत यादव, निवासी–कोबरा बरही, हजारीबाग

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. सी0आर0पी0एफ0, कोबरा बीएन, बरही, हजारीबाग के कमांडेंट के माध्यम से भारत संघ।

2. डी0आई0जी0, कोबरा, सी0आर0पी0एफ0, धुर्वा, रांची।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री जय शंकर त्रिपाठी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:– श्री नीरज कुमार, श्री राजीव सिन्हा, अधिवक्ता के जे0सी0

04 / 30.06.2017 याचिकाकर्ता ने हेड कॉस्टेबल (जी0डी0) के पद पर पदोन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसने वर्ष 2016 में आयोजित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 2008 से, करियर में बिना किसी दोष के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संक्षेप में 'सी0आर0पी0एफ0') में काम कर रहा है। याचिकाकर्ता ने हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली

है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, उसके पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया है एवं इसका कारण उत्तरदाताओं को ही ज्ञात है। याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि उसने विभागीय पदोन्नति के लिए अपनी शिकायतों के निवारण के संबंध में डी0आई0जी0, कोबरा, सी0आर0पी0एफ0, धुर्वा, रांची के समक्ष दिनांक 16.01.2017 को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया ागया और न ही कोई आदेश पारित किया गया है।

श्री जय शंकर त्रिपाठी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि वह हेड कांस्टेबल (जी0डी0) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्होनें सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर ली है लेकिन उन्हें पदोन्नति के लिए नहीं माना गया है और उत्तरदाता–प्राधिकरण अभ्यावेदन पर कस के बैठे हैं, कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।

श्री त्रिपाठी ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार किया जाता है और यह ध्यान में रखते हुए उसने विभागीय परीक्षा पास कर ली है, उपयुक्त आदेश पारित किया जाता है तो यह पर्याप्त होगा।

श्री नीरज कुमार, केंद्र सरकार के विद्वान स्टैंडिंग अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता पूरे तथ्यों को बताते हुए एक नया अभ्यावेदन दायर करता है, तो कानून के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा और पदोन्नति के लिए उपयुक्त आदेश पारित किए जाएंगे।

पार्टियों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों को पढ़ने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को एक युक्तियुक्त आदेश द्वारा निपटाया जापए, यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने विभागीयय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए फिट पाया जाता है, तो इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पदोन्नति का आवश्यक आदेश कानून के अनुसार जारी किया जा सकता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)